

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.04.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता सूर्यभान पुत्र दूबर साकिन बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामईश्वर यादव, का0 संघरतन

थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मोहम्मद अल्ली पुत्र अल्ली अहमद निवासी उच्चहराकला थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री संजय यादव, का0 मुकेश कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 95 वाहनों से 1,23,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 95 वाहनों से 1,23,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.04.2024*

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 02 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 02.04.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 02 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये हैं। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 50 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 02.04.2024 को न्यायालय – *सी0जे0(जे0डी0) एफ0टी0सी0 -1/जे0एम0*, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/1997 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नाम पता बरसाती पुत्र अली हुसैन निवासी नन्दौर थाना बखिरा संतकबीरनगर को धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व 50 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।